

कुशनवाली
8/1/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी	
देवय्य पुत्र जीमनायक रैगल कुशनवाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी	
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत			
वाद-पत्र नम्बर	318/2021	GCMS No.	2021/1111
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
8.12.2021	<p>वादी श्री देवय्य पुत्र जीमनायक जाति रैगल निवासी कुशनवाली द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत कुशनवाली में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम कुशनवाली पटवार मण्डल कुशनवाली के खाता नम्बर 210, 212, 214 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि देवीलाल पुत्र जीमनायक दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम देवय्य पुत्र जीमनायक है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरुप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 0083843001313 आधार नम्बर 9252 8005 4307 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज D2-Nu. R337 B 20180000653 मा.पि.ओडि 2014 के बतौर साक्ष्य की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी कुशनवाली भू.अ.नि. यो.न. एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>		1282-1285



उपखण्ड अधिकारी
(कुचामनसिटी तहसील)